न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 3150–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–8–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर अपील प्रकरण कमांक 336/10–11/अपील.

.....

संदीप सिंह नावालिंग पुत्र गुलाब सिंह
द्वारा सरपरस्त स्वंय पिता गुलाब सिंह
पुत्र बेताली यादव, निवासी ग्राम धन पीपरी,
तहसील भाण्डेर जिला दतिया मध्य प्रदेश

– अपीलार्थी

विरूद्ध

चन्दन सिंह पुत्र सोवरन सिंह यादव,
निवासी ग्राम धन पीपरी तहसील भाण्डेर,
जिला दतिया मध्य प्रदेश – प्रत्यर्थी

.....

श्री एस0 के0 अवस्थी अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21.10.2015 को पारित)

यह अपील प्रकरण कमांक 3150–एक/2012 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, गवालियर संभाग के द्वारा उनके प्रकरण कमांक 336/10–11 में पारित आदेश दिनांक 21–8–2012 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में दायर हुआ है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । रेस्पोडेन्ट चंदन द्वारा अपर कलेक्टर, दतिया के समक्ष ग्राम धनपीपरी स्थित उनके खसरा नंबर 596 (बंदोबस्त के पूर्व खसरा नंबर 519/2/1) की बंदोबस्त के दौरान आकृति बदल जाने का बिन्दु उठाते हुए, पूर्व की भांति आकृति बनाए जाने का आवेदन धारा 107 (5) संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया । अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी से जॉच कराकर उनका प्रतिवेदन दिनांक 16–9–10 को प्राप्त किया, जिसके अनुसार अपर कलेक्टर ने नक्शे में संशोधन किया जाना अपने आदेश दिनांक 3–5–11 द्वारा स्वीकार किया ।

अपीलांट संदीप के अनुसार उनकी भूमि खसरा नंबर 597 रिस्पोन्डेंट की भूमि खसरा नंबर 596 की सीमा से लगी हुई है । अतः खसरा नंबर 596 के नक्शे में उन्हें बगैर सूचना दिये संशोधन किये जाने का आवेदन दिये जाने के संबंध में संदीप ने यह कहा कि राजस्व निरीक्षक ने संदीप के पिता के फर्जी हस्ताक्षर करा कर गुपचुप तरीके से प्रतिवेदन बनाया, जिस पर अनुशंसा करके अनुविभागीय अधिकारी ने उसे अपर कलेक्टर को भेज दिया, और जब संदीप ने अपर कलेक्टर के समक्ष पक्षकार बनाए जाने का आवेदन दिया, तो अपर कलेक्टर ने इस आवेदन पर आदेश दिये बिना प्रकरण का अंतिम निराकरण कर दिया, जो गलत था ।

अपर आयुक्त के समक्ष अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील हुई । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह लिखा है कि अपर कलेक्टर के समक्ष संदीप 28–10–10 को उपस्थित होकर आपत्ति आवेदन दे चुका था, जिसके उपरान्त अपर कलेक्टर न्यायालय में निर्णय के पूर्व उभय पक्ष की सुनवाई हेतु अनेक पेशिया लगी, अतः यह नहीं माना जा सकता कि अपर कलेक्टर न्यायालय में संदीप को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं मिला । साथ ही अपर कलेक्टर ने यह भी लिखा कि उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन में कहीं भी दोष नहीं नजर आता । इन आधारों पर उन्होंने संदीप की अपील निरस्त कर दी ।

3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क सुने गये । अपीलांट अभिभाषक ने तर्क में यह कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों ने उनके अधिकार समाप्त कर दिये जो अनुचित है । तथा उन्होंने

यह नहीं देखा कि खसरा नंबर 596 का बंदोबस्त पूर्व का नक्शा क्या था, जिस अनुसार संशोधन होना था । उन्होंने यह बिन्दु भी उठाया कि अनुविभागीय अधिकारी का प्रतिवेदन दिनांक 16–9–10 अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, तथा अपने समर्थन में न्याय दृष्टांत 1988 राजस्व निर्णय 213 तथा 239, एवं 2005 राजस्व निर्णय 240 भी प्रस्तुत किए । अंत में उन्होंने प्रकरण प्रत्यावर्तित करके विधिवत जांच हेतु अनुरोध किया । रिस्पोन्डेंट अभिभाषक ने अपने तर्क में कहा कि खसरा नंबर 596 की बंदोबस्त के दौरान आकृति बदल जाने से उसका रकबा भी घट रहा था, जिस कारणवश उन्हें बताई गई कार्यवाही कराने की आवश्यकता पड़ी । उन्होंने यह भी कहा कि अपीलांट पुनः जॉच की मांग तो कर रहा है किन्तु ऐसी पुनः जांच की मांग का कारण नहीं बता रहा ।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया । इसके उपरान्त मैं प्रकरण में मुख्य बिन्दु निम्नानुसार टीप करता हूॅः

(1) प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का प्रतिवेदन दिनांक 16–9–10 आर्डर शीट पर अवस्थित होकर अवलोकनीय है । यह राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 7–9–10 के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तैयार किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के इस प्रतिवेदन में यह लिखा है कि खसरा नंबर 519 पूर्व में एक बड़ा नम्बर था, जिसका बंटवारा होकर चार बटे नम्बर बने थे, जिनके नए खसरा नंबर 593, 596, 597, 598 है । पूर्व खसरा नंबर519/2/1 रकबा 1.313 हैक्टेयर का नया नंबर 596 रकबा 1.031 हैक्टेयर है । बंदोबस्त के पूर्व से वर्तमान तक बंटवारे अनुसार बटे नम्बरों पर खेती हो रही है, तथा चूॅकि "पुराना नक्शा उपलब्ध नहीं है और चूॅकि पुराने नंबर 519/2/1 से नए नंबर 596 क रकबे सही अंकित होने के बावजूद नक्शा आकृति में कब्जे से भिन्नता आ गई है, अतः (अनुविभागीय अधिकारी ने) मौके के कब्जे के अनुसार नक्शे में सुधार किया जाना प्रस्तावित किया ।

(2) पंचनामा दिनांक 1–9–10 पर गुलाबसिंह नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर, अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 28–10–10 तथा 18–10–10, एवं लिखित तर्क दिनांक 8–2–11 और अभिभाषक नियुक्ति पत्र दिनांक 28–10–10 एवं अपर कलेक्टर न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 28–10–10 पर गुलाब सिंह के हस्ताक्षर से प्रथम दृष्टया मेल नहीं खाते । पंचनामें पर हस्ताक्षर

तुलनात्मक रूप से कम पढ़े–लिखे व्यक्ति द्वारा बनाए होने दिखते हैं, तथा उनमें (पंचनामें पर गुलाबसिंह के हस्ताक्षर में)अक्षरों की बनावट (विशेषकर 'ह' अक्षर की बनावट) अन्य सभी स्थानों से बिलकुल भिन्न है । यह सब प्रथम दृष्टया नजरी परीक्षण से बिलकुल स्पष्ट हो जाता है ।

(3) गुलाब सिंह ने अपने आवेदन दिनांक 28–10–10 में लिखा है कि विषयांकित कार्यवाही से उसका खसरा नंबर 597 प्रभावित हो रहा है ।

5/ उपरोक्त के अनुक्रम में प्रकरण में पूर्ण विचारोपरान्त मैं निम्न विवेचना करता हूँ तथा निष्कर्षों पर पहुँचता हूँ :

(1) बंदोबस्त के पूर्व के राजस्व नक्शे को ढूंढ कर, ना तो मूल आवेदक चंदन द्वारा और ना ही अनुविभागीय अधिकारी अथवा अपर कलेक्टर द्वारा, रिकार्ड पर नहीं लिया जाना, उचित नहीं था । पुराने राजस्व नक्शे को ढूंढने का क्या प्रयास किया गया, यह स्पष्ट नहीं है । बंदोबस्त के दौरान पुराने नक्शे से नया नक्शा बनाना एक सामान्य प्रकिया है । यह कार्य आवेदन के आधार पर ही हो, ऐसा अपेक्षित नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर को पुराने नक्शे ढूंढने चाहिये थे । यदि पुराने नक्शे खराब हालत में थे, तो भी उन्हें प्रकरण के अभिलेख पर लाकर उनसे प्राप्त की जा सकने योग्य जानकारी प्राप्त करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए था ।

(2) पैरा चार (2) के अनुक्रम में मैं यह मानता हूँ कि गुलाब सिंह पंचनामा दिनांक को मौके पर उपस्थित नहीं था, तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गुलाब सिंह लिख़ कर हस्ताक्षर किए गए हैं । ऐसे में मैं अपीलांट के इस बिन्दु को मान्य करता हूँ कि सीमावर्ती कृषक होने के बावजूद अपीलांट संदीप या उसके पिता गुलाब की उपस्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके की कार्यवाही नहीं की गई ।

(3) संदीप या गुलाब सिंह को यह स्पष्ट बताना चाहिए था कि विषयांकित कार्यवाही से उनकी भूमि सर्वे नंबर 597 पर क्या प्रभाव पड़ा है । यदि इसके लिये उन्हें अपनी भूमि सर्वे नंबर 597 का पृथक सीमाकंन आदि कराना आवश्यक था, तो उन्हें उसके लिये आवेदन देकर स्थिति पहले स्पष्ट करनी चाहिए थी । केवल अनुमान के आधार पर उन्हें यह नहीं कहना चाहिये था कि उनकी भूमि सर्वे नंबर 597 प्रभावित है ।

किन्तु फिर भी चूंकि अपीलांट रेस्पोंडेंट के सरहदी कृषक है, इसलिए उन्हें रिस्पोंडेंट के आवेदन के आधार पर होने वाली कार्यवाही, विशेषकर मौके पर होने वाली कार्यवाही, के दौरान उपस्थित रहने एवं अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर विधिवत दिया जाना चाहिए था, जो राजस्व निरीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया, और जिस पर अपर कलेक्टर तथा अपर आयुक्त द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस अपील प्रकरण में अपर आयुक्त एवं अपर कलेक्टर के ऊपर लिखे आदेश निरस्त करता हूँ ।

साथ ही चूँकि रेस्पोंडेंट चंदन ने अपने आवेदन में "पुराने नक्शे के अनुसार" अपनी भूमि का नए नक्शा बनाए जाने की मांग तो की है, किन्तु कोई पुराना नक्शा ना तो साथ लगाया और ना ही कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया जिससे यह स्पष्ट हो कि उन्होंने पुराने नक्शे की प्रति प्राप्त करने का प्रयास तो किया किन्तु प्राप्त नहीं कर पाए, अतः उन्हें अपनी भूमि का नया नक्शा बनवाने के लिए विधिवत नया आवेदन लगाने की हिदायत देता हूँ ।

संबंधित राजस्व अधिकारियों को यह हिदायत देता हूँ कि यदि चंदन या अन्य किसी पक्षकार द्वारा ऊपर बताए अनुसार भविष्य में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो वे समस्त सरहदी कृषकों को, विशेषकर अपीलांट संदीप एवं उनके पिता गुलाब को, विधिवत सुनवाई एवं मौके तथा न्यायालय में पक्ष समर्थन, साक्ष्य आदि का पूर्ण अवसर देते हुए ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करें ।

ऐसा करते समय वे विषयांकित भूमियों के पुराने नक्शों को ढूंढ कर रिकार्ड पर लाने का प्रयास भी करें । आवेदन आने पर, पुराने नक्शे मिल जाने पर उनसे यथासंभव जानकारी हासिल करते हुए एवं उसके आधार पर बंदोबस्त के बाद के नक्शे निर्मित करें ।

अपीलांट संतोष एवं उनके पिता गुलाब, जो कि अपनी भूमि सर्वे नंबर 597 उसके पूर्व भूमिस्वामी हिम्मत सिंह से क्रय करना बता रहे है, को यह हिदायत देता हूँ कि ऐसा कोई आवेदन आने और उन्हें प्रकरण की सूचना मिलने पर इस क्रय का विक्रय पत्र प्रस्तुत कर यह स्पष्ट करें कि उनके द्वारा क्रय की गई भूमि, जिसका वे राजस्व अभिलेख में अमल हो जाना भी बता रहे हैं, की चौहद्दी/सीमाएं क्या हैं । वे यह भी स्पष्ट करें कि रेस्पोंडेंट चंदन द्वारा आवेदित कार्यवाही से उन्हें उनके कौन से वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित होने का अंदेशा है । यदि यह बताने के लिए उन्हें उनकी भूमि के नक्शा तरमीम एवं सीमाकंन हेतु पृथक से आवेदन लगाने की

आवश्यकता हो, तो वे ऐसा भी करें । भविष्य में रेस्पोंडेंट के आवेदन पर मौके पर अथवा न्यायालय में होने वाली कार्यवाहियों में भी वे अपना पक्ष आवश्यकतानुसार रखें ।

प्रकरण इसके साथ समाप्त किया जाता है ।

पक्षकार सूचित हो ।

अभिलेख वापस हो ।

दा0 द0 हों ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर